भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. **3076**
18 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

एसबीएम-यू **2.0** के अंतर्गत अपशिष्ट संग्रहण और स्रोत पृथक्करण

†**3076.** श्री अतुल गर्गः
श्रीमती शांभवीः
डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरीः
श्री राजेश वर्माः
डॉ. लता वानखेड़ेः

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) स्वच्छ भारत मिशन- शहरी (एसबीएम-यू) **2.0** के अंतर्गत शत-प्रतिशत घर-घर कचरा संग्रहण और स्रोत पृथक्करण प्राप्त करने की प्रगति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है**;**
(ख) कुल कितने पुराने कचरे (मिलियन टन में) का राज्य-वार निस्तारण किया गया है और कचरा स्थलों पर अभी भी कितनी मात्रा में कचरा मौजूद है**;**
(ग) वर्तमान में कितने अपशिष्ट-से-ऊर्जा**,** बनाने वाले और जैव-मीथेनेशन संयंत्र चालू हैं और कितने निर्माणाधीन हैं**;**
(घ) अनौपचारिक कचरा बीनने वाले (सफाई मित्र) पारिस्थितिकी तंत्र को औपचारिक बनाने और उन्हें औपचारिक कचरा प्रबंधन शृंखला में शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं**;** और
(ङ) शहरी क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे और ई-कचरे के लिए उत्पादक का विस्तारित उत्तरदायित्व लागू करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग) स्वच्छ भारत मिशन-शहरी अक्तूबर, 2014 से कार्यान्वित किया जा रहा है। पहले चरण के तहत हुई प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए, अक्टूबर, 2021 के दौरान एसबीएम-यू 2.0 शुरू किया गया था। स्वच्छतम पोर्टल पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, कुल 97,684 वार्डों में से 94,405 अर्थात 96.64% वार्डों में घर-घर जाकर 100% संग्रहण किया जा रहा है और कुल 97,684 वार्डों में से 86,043 अर्थात 88.08% वार्डों में स्रोत पृथक्करण किया जा रहा है।

25.04 करोड़ मीट्रिक टन (एमटी) कचरे वाली कुल 2478 डंपसाइटों (1000 टन से अधिक कचरे वाली साइटों) को निपटान करने के लिए चिह्नित किया गया है। अब तक, 1096 डंपसाइटों का पूरी तरह से निपटान किया जा चुका है और 986 साइटों पर कार्य चल रहा है। कुल 15.20 करोड़ मीट्रिक टन (61%) कचरे का निपटान किया जा चुका है और 7903.47 एकड़ (52%) भूमि की पुनःप्राप्ति की जा चुकी है। अपशिष्ट संग्रहण, नगरपालिका अपशिष्ट के पृथक्करण और प्रसंस्करण के संबंध में एसबीएम-यू के कार्यान्वयन की स्थिति, अपशिष्ट-से-ऊर्जा और जैव-मिथेनेशन संयंत्रों सहित अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं का विवरण और पुराने डंपसाइट शोधन की स्थिति का राज्य-वार विवरण https://sbmurban.org/swachh-bharat-mission-progess पर उपलब्ध है।

इसके अलावा, बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार, चक्रीय अर्थव्यस्था को बढ़ावा देने के लिए गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्स धन (गोबरधन) के तहत 500 नए "वेस्ट टू वेल्थ" संयंत्र लगाए जाने हैं। इसके अनुसार, गोबरधन योजना के तहत 20,155 टीपीडी की कुल संचयी क्षमता वाले 145 कंप्रेस्ड बायो गैस (सीबीजी) संयंत्र लगाए जा रहे हैं, जिनमें एसबीएम-यू 2.0 के तहत 53 संयंत्र, तेल और गैस विर्निमाण कंपनियों द्वारा शुरू किए गए 65 संयंत्र और राज्य द्वारा वित्तपोषित 27 संयंत्र शामिल हैं। वर्तमान में 1,910 टीपीडी की डिज़ाइन क्षमता वाले 17 बायो-मीथेनेशन संयंत्र चालू हैं।

घ) एसबीएम-यू ने राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) जैसे अन्य सरकारी कार्यक्रमों के साथ तालमेल के माध्यम से स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने और महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं-सहायता समूहों (एसएचजी) का सशक्तिकरण करने के लिए पारिस्थिकी तंत्र बनाने पर जोर दिया है। विशेषतौर पर, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), अनौपचारिक क्षेत्र के कचरा बीनने वालों और स्वच्छता कर्मियों के पास इस कार्यक्रम से जुड़कर अपशिष्ट प्रबंधक और अपशिष्ट उद्यमी बनकर नए कार्य प्राप्ति की संभावनाएं है।

इसके अलावा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेई) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) के माध्यम से अपनी स्वच्छता उद्यमी योजना के तहत सफाई-मित्रों और स्वच्छता कर्मियों को सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए उपकरण और वाहन खरीदने के लिए लोन देता है ताकि सैनी-प्रेन्योर तैयार किए जा सकें। एनएसकेएफडीसी की हरित व्यवसाय योजना के तहत बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल (ई-रिक्शा), कम्प्रेस्ड एयर व्हीकल, सोलर एनर्जी गैजेट्स और पॉली हाउस खरीदने के लिए रियायती ऋण भी दिए जाते हैं।

ड.) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पांच तरह के कचरे जैसे प्लास्टिक पैकेजिंग, ई-वेस्ट, बैटरी वेस्ट, वेस्ट टायर और प्रयुक्त तेल के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) के

विनियमन अधिसूचित किए हैं, ताकि कचरे का पर्यावरण के हिसाब से सही प्रबंधन किया जा सके और चक्रीय अर्थव्यस्था को चालू किया जा सके।

ईपीआर दिशा-निर्देशों में कठोर प्लास्टिक पैकेजिंग के पुनः उपयोग के लिए अनिवार्य लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। ई-वेस्ट, बैटरी वेस्ट और टायर वेस्ट पर ईपीआर विनियमन आगे उपयोग किए जाने के लिए इन उत्पादों को इसी सामग्री से दोबारा बनाए जाने को भी बढ़ावा देते हैं। विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व विनियमन का कार्यान्वयन करने से अपशिष्ट प्रबंधन इंफ्रास्ट्रक्चर और रीसायकलिंग उद्योग का और विकास होगा, बिखरे हुए और अप्रबंधित कचरे से होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी और पुनःचक्रण के माध्यम से कीमती सामग्री की पुनःप्राप्ति होगी। इस तरह, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और संसाधन संरक्षण होगा।

*****